मध्यप्रदेश शासन

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 1012/158/2020/ए-16 भोपाल, दिनांक 28/11/2020

प्रति,

1 समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश,
2 समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश,
3 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
4 समस्त आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरीय निकाय, मध्यप्रदेश
5 समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम अधिकारी/सहायक श्रम अधिकारी, मध्यप्रदेश
6 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जनपद पंचायत मध्यप्रदेश।

विषय:- मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना2018 सदस्य के रूप में पंजीकरण निरस्त होने पर अपील बाबत।

संदर्भ::- 1. मध्यप्रदेश असाधरण राजपत्र दिनांक 31 मार्च, 2018 ।
2. मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग का पत्र क्रमांक 756/595/2019/ए-16 भोपाल दिनांक 20.06.2019 ।

*****

प्रदेश के असंगठित श्रमिकों के पंजीयन हेतु विहित प्राधिकारी म.प्र. राजपत्र दिनांक 31 मार्च2018 द्वारा म.प्र. असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम 2003 की धारा14 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नानुसार प्राधिकृत किये गये है-

1) ग्रामीण क्षेत्र हेतु- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
2) शहरी क्षेत्र हेतु- आयुक्त नगर निगम / मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरीय निकाय है।

2. पंजीयन हेतु आवेदन पत्र की प्राप्ति पर संबंधित अधिकारी समुचित जांच उपरांत तथा आवेदन पत्र की वास्तविकता के संबंध में स्वयं का समाधान हो जाने के पश्चात पंजीयन स्वीकृत/अस्वीकृत करते हैं।

3. संदर्भ-2 में जारी निर्देशों के परिपालन में प्रदेशव्यापी सत्यापन अभियान संचालित किया गया था। जिसमे संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को जांच उपरांत पात्र/अपात्र घोषित किया गया था। कई जिलो से उक्त पात्रता सत्यापन अभियान में किये गये विनिश्चयो से व्यथित व्यक्तियो के असंतुष्ठ होने की जानकारी प्राप्त हो रही है।

4. इस प्रकार के प्रकरणों के निराकरण हेतु निम्नानुसार प्रावधान किये जाते हैं-

4.1 पंजीयन अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील -

पंजीयन निरस्ती के ऐसे व्यक्तियों के प्रकरण जो सत्यापन अभियान के पूर्व मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना हेतु पंजीकृत थे तथा जिनका सत्यापन के दौरान अपर्याप्त कारणों से निरस्तीकरण हो गया है। ऐसे व्यक्ति अपनी पात्रता के समस्त साक्ष्यों सहित विहित प्राधीकारी के समक्ष अपना अपील आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे और विहित प्राधिकारी उस पर विचार कर और अन्य ऐसी जॉच कर

जैसी वह आवश्यक समझे अपने स्पष्ट अभिमत सहित प्रतिवेदन निराकरण हेतु अपीलीय प्राधिकारी को प्रेषित करेगा।

4.2 अपीलीय प्राधिकारी जिला कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा नामित अपर कलेक्टर होगा।

4.3 अपीलीय प्राधिकारी विहित प्राधिकारी से उपरोक्त कंडिका 4.1 में वर्णित प्रस्ताव प्राप्त होने पर विहित प्राधिकारी के जॉच प्रतिवेदन अथवा ऐसी और जॉच करने के उपरान्त जैसी वह आवश्यक समझे पूर्ण संतुष्ट होने पर समुचित आदेश जारी करेगा, जिसमें वह अपील स्वीकार/अस्वीकार कर सकेगा। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपीलीय आदेश की कार्यवाही अपील के विनिश्चय के आधार पर संबल पोर्टल पर इस बाबत् एन.आई.सी. द्वारा प्रदान कराए गए लॉगिन में दर्ज की जाएगी। जिसके आधार पर अपील स्वीकार होने की स्थिति में संबंधित अपीलार्थी का पुराना पंजीयन पुनर्जिवित हो जाएगा।

अपीलीय प्राधिकारी का विनिश्चत अंतिम होगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(छोटे सिंह)
उप सचिव
म.प्र. शासन, श्रमविभाग

पृ.क्रमांक 1062/1581/2020/ई16 भोपाल, दिनांक 28/11/2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. मुख्य सचिव के उप सचिव/ स्टॉफ ऑफिसर, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प.शासन नगरीय प्रशासन विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प.शासन वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, म.प.शासन जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय भोपाल।
7. श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर।
8. आयुक्त जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
9. आयुक्त, नगरीय विकास एवं आवास भोपाल की ओर सूचनार्थ।
10. सचिव, मध्यप्रेदश असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल।
11. श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, विंध्याचल भवन, भोपाल की ओर उपरोक्त आदेशानुसार पोर्टल पर आवश्यक तकनीकी व्यवस्थाएं पूर्ण कराने बाबत्।
12. विभागीय रिकार्ड फाईल।

उप सचिव
म.प्र. शासन, श्रमविभाग